Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... बयाना........................

महेन्द्र आदि .... बनाम .... राजेश वगैराह........................

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट .... नं. .... सन् 226/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
01/9/25	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा मूल अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम मालीपुरा तहसील बयाना के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करें। कब्जा कर बेदखल नहीं करें। नींव खोदकर कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें। रहन, वय व मुन्तकिल नहीं करें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। हमने एड. प्रार्थी को सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन करने पर अप्रार्थीगण के विरूध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.11.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम मालीपुरा तहसील बयाना में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये साधारण/डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 17.11.2025 को पेश हो। [signature]	
17/11/25	पीठासीन अधिकारी [illegible] है। उप खण्ड अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/01/26 को पेश है। बयाना (भरतपुर) राज. [signature] रीडर ओ/एस.डी.एम.	

19/2/2026 प्रकरण पेश हुआ एड० श्री नन्दकिशोर शर्मा जी द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/3/2026 को पेश हो। [signature]

16/3/26 बाबूलाल उप० जवाब पेश नहीं एड० प्रति० द्वारा। अंतिम आवश्यक रूप से जवाब पेश करें। पत्रावली दिनांक 28/4/26 को पेश हो। [signature]

28/4/26 प्रकरण पेश हुआ। बाबूलाल उप०। प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। स्थगन आदेश बाबत बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उभयपक्षकारान में विवाद की स्थिति प्रतीत होती है।

अतः न्यायालय हाजा से जारी अंतरिम स्थगन आदेश को इस आशय के साथ पुष्ट किया जाता है कि उभयपक्ष रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक पारित किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]